of Medical Sciences, Imphal, that such a proposal is being processed by them.

(b) Does not arise.

Import of Blood/Blood Products

1868. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government or its agencies import blood or blood products from abroad;

(b) if so, the details thereof for the last three years alongwith quantity of blood or its products imported and the countries from where imported, year-wise;

(c) whether Government have seen the media reports about tainted blood imported to the country; and

(d) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI DALIT EZHILMALAI): (a) No, Madam.

(b) Does not arise.

(c) Yes, Madam.

(d) It is a fact that M/s Panacea Biotec, New Delhi had imported Human Albumin 20% Injection, manufactured by M/s Albovina Gmbh Austria, during the years 1994—96. The National Institute of Communicable Diseases (NICD), Delhi has reported that the samples from the consignment of this Drug were tested, and found free from HIV antibodies. M/s Bharat Serum & Vaccines Bombay has not imported Albumin 20% Injection from the above manufacturer.

देश में कन्या शिशु मृत्यु दर की घटनाओं में वृद्धि होना

1869. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि यद्यपि भारत में शिशु मृत्यु दर में गिरावट जारी है तथापि कन्या शिशु मृत्यु दर बाल शिशु मृत्यु दर की तुलना में बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाने के लिए ऐसी घटनाओं का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गर्भस्थ भ्रूणों का लिंग निर्धारित होते ही कुछेक मामलों में कन्या भ्रूण को गर्भ में ही समाप्त कर दिया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ऐसे मामलों में क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री दलित एज़िलमलाई): (क) से (ग) भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीयन पद्धति के द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार, नवजात बालिका तथा बालक दोनों की मृत्यु दर में कमी का रूझान रहा है। 1994 में 73 से 1995 में 76 तक एक वर्ष के दौरान, नवजात बालिका मृत्यु दर में मामूली वृद्धि हुई थी जबकि 1985—1995 की अवधि के दौरान नवजात बालिका मृत्यु दर में समग्र कमी नवजात बालक मृत्यु दर में 96 से 73 तक 23 प्वाइंट की कमी की तुलना में 98 से 76 तक 22 प्वाइंट रही है।

(घ) और (ङ) कोई भी प्रमाणिक और सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी यह विदित है कि भारतीय समाज में लड़के की तीव्र पसंदगी के कारण कभी-कभी बालिका भ्रूणों के गर्भपात करवाए जाते हैं। प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 में पारित किया गया है और यह पहली जनवरी, 1996 से प्रभावी हुआ है। इस अधिनियम के तहत प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकें केवल विशेष परिस्थितियों में ही अनुमत्य है। भ्रूण के लिंग का पता लगाने पर रोक है और इस कानून का उल्लंघन करने पर दंड निर्धारित किए गए हैं।